HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 355/2026

1. Premaram S/o Tamachiram, Aged About 31 Years, R/o Bisa Sar, Ps Dhanau, Distt. Barmer Raj. (At Present Judicial Custody At Sub Jail, Begun)
2. Pujaram Ram S/o Tamachiram, Aged About 29 Years, R/o Bisa Sar, Ps Dhanau, Distt. Barmer Raj. (At Present Judicial Custody At Sub Jail, Begun)
3. Laxman Ram S/o Dayaram, Aged About 20 Years, R/o Bisa Sar, Ps Dhanau, Distt. Barmer Raj. (At Present Judicial Custody At Sub Jail, Begun)
4. Lajpat S/o Gordhanram, Aged About 32 Years, R/o Bisa Sar, Ps Dhanau, Distt. Barmer Raj. (At Present Judicial Custody At Sub Jail, Begun)
5. Hanumanram S/o Ukardaram, Aged About 20 Years, R/o Bisa Sar, Ps Dhanau, Distt. Barmer Raj. (At Present Judicial Custody At Sub Jail, Begun)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Anil Vyas
For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 189(2), 303(2) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। इस प्रकरण में मजरूब शेम्भुराम के सिर में कुल्हाड़ी से गंभीर चोट कारित करने का आरोप है। मजरूब शेम्भुराम व अन्य चश्मदीद गवाहान ने मजरूब शेम्भुराम के सिर में उकरड़ाराम द्वारा सिर में चोट कारित करने का आरोप लगाया है। मामले में जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसमें भी शेम्भुराम के सिर में कुल्हाड़ी से उकरड़ाराम द्वारा चोट कारित करने का अरोप लगाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ शेम्भुराम के कोई चोट कारित करने का आरोप नहीं है। सहअभियुक्त उकरड़ाराम द्वारा मजरूब शेम्भुराम के सिर में जो गंभीर चोट कारित की गई है वह प्राणघातक है, किंतु उक्त चोट का प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 20.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आरेाप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 189(2), 303,(2), 118(2) व 109(1), 190 के दंडनीय अपराध में आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है तथा प्राणघातक चोट कारित करने का आरोप उकरड़ाराम के खिलाफ है प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **1. प्रेमाराम पुत्र तमाचीराम 2. पूंजाराम पुत्र तमाचीराम 3. लक्ष्मणराम पुत्र दयाराम 4. लजपत पुत्र गोरधनराम व 5. हनुमानराम पुत्र उकरड़ाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2025, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उन्हें बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(ASHUTOSH KUMAR),J

50-Nitin Jagtiani/-